न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

प्रकरण संख्या Bsw-D 15/2016 श्री धूलजी बनाम रमेशचन्द्र

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपील अन्तर्गत धारा–223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी सज्जनगढ़ दिनांक 22–06–2016 प्रकरण संख्या 24/2014 वाद ————————	
25–01–2018	वकील उभयपक्ष अनुपस्थित। प्रकरण में सुनी गई बहस, पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12–04–2016 की नियत तिथि के स्थान पर अपीलान्ट प्रतिवादी की तलबी में नियत प्रकरण को नियत तिथि से पृथक जाकर दिंनाक 22–6–2016 को प्रकरण में अपीलान्ट प्रतिवादी को सूचित किये बिना व सुने बिना तथा मोरूसी भूमि के प्रमाणित हुए बिना स्वेच्छाचारी रूप से अत्यन्त बेहुदा निर्णय पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय, तथ्यों एंव विधिक प्रक्रिया के प्रतिकूल है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 22–6–2016 अपास्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्द्रेशों के साथ **प्रतिप्रेषित** किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्षों को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर प्रकरण में स्थापित विधिक प्रक्रिया अनुसार निर्णय पारित करें। पक्षकारान आधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 26–3–2018 को उपस्थित होवें। पत्रावलियां बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 25–01–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(एल.एन. मंत्री)** **भू–प्रबन्ध अधिकारी** **एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी** **उदयपुर**	